राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 14/2014.................... जिला ....अजमेर..

उनवान : मैसर्स अजमेर ऑटो एजेंसीज प्रा0 लिमिटेड, जयपुर रोड़, अजमेर जरिये निदेशक श्री भावुक सहगल

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य श्री अमर सिंह, सदस्य	
07/03/2014	अपीलार्थी प्रार्थी की ओर से अपील संख्या 1614/2012/अजमेर में खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2013 में संशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। संशोधन प्रार्थना–पत्र के साथ एक स्थगन प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि कर बोर्ड की खण्डपीठ के उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2013 की क्रियान्विति पर रोक लगाई जावे तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 22.2.2012 पर भी संशोधन प्रार्थना–पत्र के निर्णय तक रोक लगाई जावे एवं प्रत्यर्थीगण को प्रार्थी के विरूद्ध कठोर कदम (Coercive action) उठाने से रोका जावे। प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 26.12.2013 में रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल को संशोधित किया जाना आवश्यक है। संशोधन प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य होने के कारण निर्णय दिनांक 26.12.2013 पर रोक लगाने की प्रार्थना की है। उनका कथन है कि खण्डपीठ ने इन्टरनेट से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जबकि खण्डपीठ के एक सदस्य द्वारा अन्य प्रकरण (2014) 38 Tax Update Digest of Important Decisions Page 3 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स राजेश आर भोसले में इन्टरनेट के दस्तावेजों को आधारहीन माना है, जब तक कि वे संबंधित प्राधिकारी/व्यवहारी द्वारा सिद्ध नहीं हो जायें। यह भूल रेकॉर्ड से परिलक्षित होना बताया। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार को गलत स्वीकार करना, घोषणा पत्र 'सी' फॉर्म व वैट–47 के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को निर्णय हेतु निर्देशित करना, कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर प्रारम्भिक ऐतराजों को निस्तारित कर गुणावगुण पर अवसर प्रदान नहीं करना, विक्रय सिद्ध करने का दायित्व विभाग पर होना आदि रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल होने के कारण संशोधन प्रार्थना–पत्र में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना बताते हुए स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने पर बल दिया। लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 14/2014...................... जिला ....अजमेर...

उनवान : मैसर्स अजमेर ऑटो एजेंसीज प्रा0 लिमिटेड, जयपुर रोड़, अजमेर जरिये निदेशक श्री भावुक सहगल

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/03/2014	यह भी कथन किया कि खण्डपीठ स्वयं के निर्णय की क्रियान्विति पर भी पीठ के inherent powers के तहत रोक लगाई जा सकती है। तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वयपीठ के निर्णय **निगरानी संख्या 281/2008/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 5.2.2008** को उद्धरित किया है। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने संशोधन प्रार्थना–पत्र में खण्डपीठ के निर्णय की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाने का विरोध करते हुए कथन किया है कि किसी स्तर पर कर निर्धारण कार्यवाही पर रोक लगाई जाने का कर बोर्ड का क्षेत्राधिकार नहीं है। वेट अधिनियम की धारा 83(7) के तहत कर बोर्ड वसूली पर रोक स्वीकार कर सकता है। अग्रिम कथन किया कि विवादित निर्णय दिनांक 26.12.2013 में रेकॉर्ड पर उपलब्ध कोई भूल परिलक्षित नहीं हो रही है। संशोधन प्रार्थना–पत्र में वर्णित विवादों पर खण्डपीठ द्वारा पूर्ण सुविचारित निर्णय पारित किया गया है, इसलिए संशोधन प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं होने से स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। उभयपक्ष की बहस सुनने, अपील आधारों तथा विवादित निर्णय का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि निर्णय में रेकॉर्ड पर भूल परिलक्षित होना प्रथम दृष्टया नहीं पाया जाना प्रतीत होता है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि कर बोर्ड स्वयं के निर्णय की क्रियान्विति पर रोक लगाये जाने में सक्षम है। उद्धरित निर्णय का अवलोकन किया गया तथा वेट अधिनियम के प्रावधान 83(7) का अध्ययन किया गया। वेट अधिनियम की धारा 83(7) इस प्रकार है :– **83. Appeal to the Tax Board. –** (7) The Tax Board, during the pendency of an appeal before it, shall not stay any proceeding but it may, on an application in writing from the dealer, stay the recovery of the disputed amount of tax or any other sum or any part thereof on the condition of furnishing adequate security to the satisfaction of the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner in this behalf; and the amount found ultimately due shall be subject to interest from the date it became first due, in accordance with the provisions of this Act. **लगातार..............3**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या — 14/2014.................... जिला ....अजमेर...

उनवान : मैसर्स अजमेर ऑटो एजेंसीज प्रा0 लिमिटेड, जयपुर रोड़, अजमेर जरिये निदेशक श्री भावुक सहगल

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/03/2014	इस प्रावधान के तहत कर बोर्ड को उनके समक्ष लम्बित अपील में निचली अदालत के निर्णय में वसूली योग्य राशि पर रोक लगाये जाने का क्षेत्राधिकार विधायिका द्वारा दिया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह भी तर्क रहा है कि माननीय सदस्य द्वारा उद्धरित निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजेश आर भौंसले** में इन्टरनेट से प्राप्त दस्तावेज को आधारहीन माना है। निर्णय के तथ्य अनुसार इन्टरनेट में जांच पर क्रेता–विक्रेताओं के पंजीयन सम्बन्धी आधार को उचित नहीं माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य भिन्नता को देखते हुए प्रार्थी को निर्णय सहायक नहीं है। संशोधन प्रार्थना–पत्र में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना प्रतीत होता है। अतः संशोधन प्रार्थना–पत्र द्वारा की गई प्रार्थना खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 7-3-14 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड,** **अजमेर** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड,** **अजमेर**	